पत्रांक– मं0मं0–06/बजट (आवंटन)–42/2012...............01

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

अवर सचिव (लेखा),
(निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी),
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक......11......अप्रैल, 2012

विषय – वित्तीय वर्ष 2012–13 में मांग संख्या–04 के बजट शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं–गैर योजना–00–090–सचिवालय–0024–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड–N2052000900024 से 6,23,20,000/– (छः करोड़ तेईस लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि दिनांक–31.03.2013 तक व्यय हेतु आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब० 17/बी०एस०जी०–51/2012–422/वि० दिनांक–31.03.2012 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012–13 में मांग संख्या–04 के बजट शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं–गैर योजना–00–090–सचिवालय–0024–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड–N2052000900024 गैर योजना में आय–व्ययक अनुमान 2012–13 में 6,23,20,000/– (छः करोड़ तेईस लाख बीस हजार रूपये) का बजट उपबंध प्राप्त है तथा उपबंधित राशि में से वित्तीय वर्ष 2012–13 के अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

02. वित्त विभाग के पत्रांक– ब० 17/बी०एस०जी०–51/2012–422/वि० दिनांक–31.03.2012 के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार व्यय हेतु 6,23,20,000/– (छः करोड़ तेईस लाख बीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

03. आवंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2052– सचिवालय सामान्य सेवाएं–गैर योजना–00–090–सचिवालय–0024–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड–N2052000900024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में विकलनीय होगा। इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

04. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि० (2) दिनांक–17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

05. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

अनु० – यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/04/2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – मं0मं0–01/बजट (आवंटन)–42/2012....01.... दिनांक....11/4/2012.... 12

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

10/04/2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – मं0मं0–01/बजट (आवंटन)–42/2012....01.... दिनांक....11/4/2012....

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/04/2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – मं0मं0–01/बजट (आवंटन)–42/2012....01.... दिनांक....11/4/2012....

प्रतिलिपि – वित्त विभाग, (बजट शाखा)/लेखा शाखा (दोहरी प्रतियों में), मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/04/2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव